SHRI NITIRAJ SINGH CHOUDHARY : So far as we know, there has been no chronic shortage of explosives for industry. No mine has suffered for want of explosives.

SHRI S. M. BANERJEE : The hon. Minister only said that the shortage has arisen out of the strike of the employees of Indian Explosives at Gomia. Is he aware that apart from the strike in Gomia, there is also a strike in the Indian Explosives Ltd. at Kanpur ? What steps do Government contemplate to end the strike ? Have they referred the matter to the Labour Ministry to see that a negotiated settlement is reached, because this is entirely in the hands of the private sector, though some control is there by Government ? What steps have been taken to see that there is no shortfall because of strike, and whether a negotiated settlement has been reached or is yet to be reached ?

SHRI NITIRAJ SINGH CHOUDHARY : The Labour Ministry are seized of the matter in regard to the situation in both Gomia and Kanpur.

To make good the shortfall in production, Government have already decided to go in for an explosives factory in the public sector. The feasibility report is due this month.

ग्वालियर के श्री माधवराव सिंधिया के सम्पदा-शुल्क संबंधी मामले की जांच

SNQ. 3. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्वालियर के श्री माधव राव सिंधिया के सम्पदा-शुल्क के संबंध में कोई जांच कर रही है, और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ख) क्या ग्वालियर के महाराजा ने जांच के दौरान ही, गत तीन मास में, लगभग एक करोड़ रुपये के मूल्य के आभूषण बेच दिये हैं ; और

(ग) क्या उक्त विक्रय करने से पहले उन्होंने सरकार से पूर्व-अनुमति मांगी थी, और यदि नहीं, तो जांच के दौरान ही यह विक्रय करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आयकर विभाग ने, सम्पदा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत, ग्वालियर के स्वर्गीय श्री जीवा जी राव एम० सिंधिया की सम्पदा के शुल्क-निर्धारण की कार्यवाही को, जो 22-9-66 को पूरी हो गई थी, फिर से चालू किया है। इस कार्यवाही को फिर से चालू करने के कारण ये है :—

(i) मृतक की सही हैसियत को अपनाना अर्थात व्यक्ति की हैसियत है अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार की ;

(ii) परिसम्पत्तियों का सही-सही मूल्यांकन ।

स्वर्गीय श्री सिंधिया के कानूनी वारिसों ने बम्बई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है ; जिसकी कार्यवाही चल रही है ।

(ख) जवाहिरात बेचे जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह प्रश्न श्री माधवराव सिंधिया के बारे में और जवाब दिया जा रहा है श्री जीवा जी राव एम० सिंधिया के बारे में । यह नाम गलत है ।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Because I answered in Hindi, probably the hon. member did not follow ! I shall now speak in English.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप नाम के बारे में बतायें ।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The Question is :

"whether Government are conducting

an enquiry into the estate duty of Shri Madahvrao Scindia of Gwalior and if so, the conclusion arrived at so far."

The duty is levied on the estate of a person who has already died. Fortunately Shri Madhavrao Scindia is still alive.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : But Shri Jiwaji Rao Scindia is the grandfather of Shri Madhavrao Scindia.

अध्यक्ष महोदय : जब तक कोई मरा न हो, एस्टेट ड्यूटी कैसे लगेगी ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The Question is :

"whether Government are conducting an enquiry into the estate duty of Shri Madhavrao Scindia..."

Who is this Madhavrao Scindia ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The estate duty has to be paid by Shri Madhavrao Scindia,...

MR. SPEAKER : Who is alive.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : ...on account of the estate received from his father.

श्री शशि भूषण : अध्यक्ष महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो हमदर्दी है श्री सिंधिया के लिए, उस को मैं समझता हूं । और होनी भी चाहिए । वह राजमाता के कृपा-पात्र हैं ।

पिछले वर्षों में साठ सत्तर माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी और प्रधान मन्त्री जी को यह ज्ञापन दिया कि इन की पूरी जायदाद का पुनः मूल्यांकन होना चाहिए, जैसे कि हैदराबाद के नवाब के सम्बन्ध में किया गया, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपयों की जायदाद ये अन्डर-सेल कर रहे है । मैं बताना चाहता हू कि पिछले दिनों बम्बई में एक महल इन्होंने 60 लाख रुपये में बेचा और साल भर के अन्दर चार करोड़ रुपये में उसकी रीसेल हो गई, जबकि उस महल का एक-तिहाई हिस्सा अभी बाकी है । वह महल अन्डर-सेल किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसकी कोई जांच की है । एक करोड़ रुपये की जो ज्वैलरी इन्होंने खुले-आम ग्वालियर में बेची है, उसके बारे में जांच हो रही है । अगर ये ऐसे बेचते जायेंगे, तो कैसे काम चलेगा ? शिवपुरी के महल के आस-पास की सारी जमीन अन्डर-सेल की गई । जब स्टेट का विलीनीकरण हुआ, तो बहुत सी सम्पत्ति दी नहीं गई । आज उसको ट्रस्ट में शामिल किया जा रहा है । ट्रस्ट का सारा रुपया राजनैतिक अखबार चलाने में खर्च होता है । मैं जानना चाहता हूं कि इन की जायदाद का जो पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है, उसमें इतनी देर क्यों हुई । अगर मन्त्री महोदय का विभाग इसके लिये समर्थ नहीं है, तो वह सी०बी०आई० से इसकी जांच क्यों नही कराते ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इनकम टैक्स एक्ट और एस्टेट डयूटी एक्ट आदि जो कानून हमारी संसद ने पास किये है, उनके अन्तर्गत ही हमको इस बारे में जांच-पड़ताल करानी पड़ेगी । माननीय सदस्य ने यह बात ठीक कही है कि जब माननीय सदस्यों के द्वारा प्रधान मन्त्री जी और तत्कालीन वित्त मन्त्री जी को ज्ञापन दिया गया, उसके बाद ही इस बात की जांच कराई गई और यह पाया गया कि जिस आधार पर एस्टेट ड्यूटी का सैटलमेंट किया गया था, उसमें कुछ खामियां हैं । इसलिए उस मामले को रीओपन किया गया और यह देखा जा रहा है कि इन्हें हिन्दू अनडिवाइडिड फैमिली मान कर जो एक-तिहाई एस्टेट ड्यूटी लगाई गई थी, वह लगानी चाहिए या एक व्यक्ति मान कर पूरी एस्टेट ड्यूटी लगानी चाहिये ।

इसमें एक और बात सामने आई । गुजरात हाई कोर्ट ने इस बारे में एक निर्णय में कहा है कि जो पुराने रूलर्ज हैं, उनकी हैसियत इस तरह की नहीं है कि उन्हें कानून के अन्तर्गत कोपार्सनरी ट्रीट कर के उनके एस्टेट ड्यूटी के मामलों को एक हिन्दू अनडिवाइडिड फैमिली

के रूप में लिया जाये, बल्कि उनको केवल एक व्यक्ति के रूप में लेना चाहिये। जब हाई कोर्ट का निर्णय हमारे ध्यान में आया, तो उसके अन्तर्गत भी हमने विधि मन्त्रालय, ला मिनिस्ट्री में इसकी जांच-पड़ताल कराई और उनकी राय के अनुसार हम इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं।

इन के एक महल, टेकमपुर रिट्रीट, का एस्टेट ड्यूटी के लिए अन्डर-एसेसमेंट हुआ था। हमने इस अन्डर-एसेसमेंट को ठीक करने के लिए फिर से इस मामले को खोला और हम फिर से इसकी एसेसमेंट कराना चाहते हैं, जिस से इसका एसेसमेंट ठीक से हो सके और उस पर कानूनन जितनी एस्टेट ड्यूटी लगे, वह पूरी एस्टेट ड्यूटी उनसे ली जाये। यह कार्यवाही अभी चल रही है। जैसा कि मैं ने मूल उत्तर में बताया है, इसके विरोध मे इन लोगों ने बम्बई उच्च-न्यायालय में एक रिट पेटीशन दायर की है और इस लिए इस विषय मे आगे जो प्रगति होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पा रही है।

श्री शशि भूषण : अध्यक्ष महोदय, जब एक जायदाद कम कीमत पर बेची गई तो बाकी जायदाद की पूरी इन्क्वायरी की जाय। 10 हजार ऐतिहासिक महत्व की सोने की मोहरें उनके पास है जो महारानी लक्ष्मी बाई के खजाने से और बादशाह बहादुरशाह जफर के खजाने से लूटी गई। यह सरकार की नालेज में है। अगर वह उसे बेच दें या बदल दें तो सरकार ने उसकी सुरक्षा के लिए क्या इन्तजाम किया है और जो जवाहरात जब वह बेच देंगे तो उसके बारे में एस्टेट ड्यूटी किस से लेंगे? पिछले दो तीन महीनों में कुछ इस तरह से उन्होंने बेची हैं जब कि उनको पता है कि प्रिवी पर्सेज और प्रिविलेजेज खत्म होने जा रहे हैं, तो उस की सुरक्षा के लिए आपने क्या कदम उठाए और सी०बी०आई० के हाथ में यह केस क्यो नही दे रहे हैं?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने जैसा कहा एस्टेट ड्यूटी का जो तर्फिया किया गया था उस में जवाहरात और ज्वेलरी जो थी उसका मूल्यांकन किया गया था 17 लाख रुपये और प्राइमरी गोल्ड व सिलवर की ज्वेलरी का 12 लाख रुपये मूल्यांकन किया गया था। उसके ऊपर फिर जितनी एस्टेट ड्यूटी लग सकती थी उतनी उनसे एस्टेट ड्यूटी ले ली गई। जैसा मैंने पहले कहा कि चूंकि हिन्दू अविभाजित परिवार का रूप मान कर लिया गया था इस लिए केवल एक तिहाई पर यह ड्यूटी ली गई थी। अब इसके ऊपर हम फिर से विचार कर रहे हैं। जहा तक कि ऐतिहासिक महत्व की मोहरों का सवाल है यह पाया गया कि इस परिवार के पास 9,816 पुरानी सोने की मोहरे हैं और 1409 तोले की और कुछ पतली मोहरें हैं जिनका कि आर्कियालाजिकल और ऐतिहासिक महत्व है और इसलिए उसके ऊपर एस्टेट ड्यूटी नहीं लगाई गई। यह इनके पास मौजूद हैं इस तरह की हमारी अपेक्षा है। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ कि यह कानून बना हुआ है और इस तरह के नियम बने हुए हैं कि इस तरह की ऐतिहासिक महत्व की चीजों को जिनका कि आर्केलाजिकल महत्व है न बेचा जा सकता है न गलाया जा सकता है और न देश के बाहर भेजा जा सकता हैं।

एक माननीय सदस्य : लिया तो जा सकता है उनसे?

श्री विद्या चरण शुक्ल : कानून में लेने का कोई प्रावधान नही है। इस बात की भी जांच की गई कि इस तरह की चीजे ली जा सकती हैं या नहीं। एस्टेट ड्यूटी ऐक्ट को ,जो 33 वीं धारा है उसमें यह साफ दिया हुआ है कि इस तरह की चीजें जो उनके पास है वह उनके पास रह सकती हैं और उसके ऊपर कोई एस्टेट ड्यूटी लगाना लाजिमी नहीं है।

SHRI N. K. P. SALVE : The figures of of the valuation of the jewellery given by the Minister are simply startling. Ma, I know from the hon. Minister whether this valuation was between the department and the accountable person or whether any approved valuer was brought into the picture ?

Secondly, if the reopening of the assessment on Estate Duty is based on the allegation that the properties were alienated or transferred at a value less than the market value, the income-tax law is also automatically attracted in terms of the Income-Tax Act, 1951, section 50. May I know whether the income-tax proceedings have been reopened or initiated in respect of the properties which are alleged to have been transferred at a lesser value than their real market value ? If they have not been initiated, may I know whether he will take appropriate action in that matter ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The valuation of the jewellery was between the departmental representative and the accountable person and no valuer was brought in between. As for the second question, it is a fact that in case any under-assessment is found out certain provisions of the Income-tax Act are attracted and if it is established in our enquiry that what is alleged is true, certainly proceedings under the Income-tax Act will be launched against the accountable person.

श्री एस० एम० बैनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि श्री माधो राव सिंधिया जो उनके पिता की एस्टेट ड्यूटी का मामला है, मन्त्री महोदय के कथनानुसार उन्होंने उसके लिए उच्च न्यायालय में अपील कर रखी हैं, तो यदि यह पैसा वसूल करना है तो केवल माधो राव सिंधिया जी से ही वसूल किया जायेगा या अभी राजमाता जी ने किसी को गोद में भी लिया है उनसे भी लिया जायेगा।

SHRI MOHAN DHARIA : Sir, it seems that the Government has not yet taken a serious view of the matter. The property in Bombay worth Rs. 3 crores to Rs. 4 crores has been shown to have been sold at a nominal price of Rs. 60 lakhs, and here the black money has also been secured by the Maharaja of Gwalior. Under these circumstances, may I know from the Minister whether the Minister will immediately institute an enquiry into this affair and not only take simple action but also prosecute these people who have cheated this country ?

Mr. Speaker, I know from personal sources and from other sources that there are many parties involved in the matter, and black money to the tune of Rs. 3 crores has been aid to the Scindias of Gwalior and, under these circumstances, is it not the duty of this Government to take action against those who are involved in the matter ? What has the Government been doing ? This question was voiced in the Rajya Sabha also, but I am sorry to say that nothing has been done by the Government ; the Government simply say that proper assessment will be made ; that is not enough. What we want is an enquiry, and criminal prosecution of those persons who deceive this country. (*Interruption*). They should be hanged.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : It is a fact that some of the property of the Gwalior House was sold at about Rs. 60 lakhs and within six months, part of that property was again resold for Rs. 4 crores. (*Interruption.*)

SOME HON. MEMBERS Shame, shame.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : We have taken cognizance of this fact and I can assure the hon. Member that we shall make all due enquiries under the law to find out how this came about, and what action can be taken under the law regarding this deal.

SHRI MOHAN DHARIA : Government never took any action. (*Interruption.*)

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I can give the assurance that we shall go into this matter and find out what action lies with us according to the law ; and I can assure the hon. Members of the House that we shall take all action that is necessary under the law to set it right.

AN HON. MEMBER : When ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Immediately.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी राज्य मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि स्वर्गीय महाराजा की जायदाद के सम्बन्ध में एस्टेट ड्यूटी का जो अनुमान लगाया गया था वह कम था और जब कुछ संसद के माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया तो सारा मामला फिर से खोला गया। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यह सच है कि जब एस्टेट ड्यूटी के बारे में पहले अनुमान लगाया गया तब राजमाता विजयराजे सिंधिया कांग्रेस में थीं, इसलिए एस्टेट ड्यूटी का कम अनुमान लगाया गया और अब वह कांग्रेस के खिलाफ काम कर रही है इसलिए सारा मामला फिर से खोला जा रहा है ?

श्री अमृत नाहाटा : यह भी तो हो सकता है ड्यूटी कम कराने के लिए ही कांग्रेस में आई हों।

श्री विद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का भारी खेद है कि एक जिम्मेदार संसद सदस्य इस तरह के लांछन लगा रहे हैं जो कि सम्पूर्णतः बेबुनियाद और गलत है। जब कानून किसी व्यक्ति के ऊपर लाया जाता है तो यह नहीं देखा जाता है कि वह व्यक्ति किस राजनैतिक दल का सदस्य है और जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य श्री नाहाटा जी ने कहा कि दूसरी तरफ से यह आरोप लगाया जा सकता है कि इस तरह के फायदे उठाने के लिए ही वह कांग्रेस पार्टी की सदस्य थीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो आपने बनाया क्यों था ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं नहीं समझता कि जो आपने कहा है वह सत्य है और जो यह कह रहे है, वह सत्य है। मैं दोनों बातों को सत्य नहीं मानता, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें कुछ ऐसी खामियां रह गई है, जिन की जांच पड़ताल करना जरूरी है और उसकी जांच-पड़ताल हम कर रहे हैं।

श्री सतपाल : मिनिस्टर साहब ने सवाल के (बी) हिस्से के जवाब में कहा है कि कोई जेवरात बेचे गये, इसके बारे में गवर्नमेंट की कोई वाकफियत नहीं है। पहली बात मैं यह पूछना चाहता हूं—अगर किसी राजा-महाराजा को कोई जेवरात बेचने हों तो क्या उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमीशन लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती है ? दूसरी बात—अगर उन्होंने एक करोड़ रुपये के जेवरात बेचे तो क्या उसकी कोई जांच-पड़ताल सरकार अलग तौर पर कर रही है या नहीं कर रही है ? तीसरी बात—इस मुल्क के कई राजे-महाराजे इस किस्म की अण्डर-राइट मनी को, अपने जेवरात को दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई भेज रहे हैं—सरकार को इसकी कोई वाकफियत है या नहीं ? चौथी बात—इन राजा-महाराजाओं ने अपने कुछ एजेन्ट छोड़े हुए हैं जो अमरीका के बाजारों में जाकर उनके जेवरातों को बेच रहे हैं—इसके सिलसिले में क्या सरकार को कोई वाकफियत है या नहीं है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, जो इनके व्यक्तिगत जेवरात है, उनको बेचने के लिए किसी प्रकार की कोई आज्ञा की इन्हें आवश्यकता नहीं है...

श्री शशि भूषण : लेकिन वे करोड़ों रुपये के जेवरात है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : लेकिन वे उनके अपने है, उन्हें वे बेच सकते हैं, इस लिए इस पर कोई जांच पड़ताल करने का प्रश्न नहीं उठता। यह बात जरूर है कि हमारे कुछ कानून ऐसे हैं, जिनके अन्तर्गत सोना, चांदी और दूसरे जेवरातों को देश से बाहर ले जाकर नहीं बेचा जा सकता, इसके लिए नियम और कानून बने हुए हैं। ऐसी कोई बात अगर हमारे ध्यान में आयेगी या माननीय सदस्य कोई सूचना देंगे तो

हम उसके सम्बन्ध में अवश्य जांच-पड़ताल करेंगे।

श्री रामसहाय पांडे : देश में सबको पता है कि ग्वालियर राज्य परिवार बड़ा पुराना राज्य परिवार है, इसके पास विपुल अपार सम्पत्ति है। लेकिन जो सम्पत्ति घोषित की गई, वैल्थ टैक्स की दृष्टि से या जो असेसमेंट हुआ, वह उस अपार सम्पत्ति के मुकाबले बहुत कम है। इन के एक कर्मचारी ने, जिसने इस राज्य परिवार की बहुत समय तक सेवा की, मुझ को बताया कि यदि इस राज परिवार के महलों को कन्फिस्केट किया जाय और उसको खोदा जाये तो उस में गड़ी हुई सम्पत्ति इतनी अधिक मिलेगी कि आप एक पंचवर्षीय योजना उससे पूरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं यह ग्वालियर राज्य डाकुओं से घिरा हुआ है, इनका सम्बन्ध उन डाकुओं से है और जो माल डाकू लूटते हैं, वह इनके महलों में छुपाया जाता है। इसकी पूरी जांच-पड़ताल होनी चाहिये और महलों को कन्फिस्केट करके उनको खोदना चाहिये और गड़ी हुई सम्पत्ति को निकालना चाहिये।

श्री सोहन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब स्टेट ड्यूटी का सवाल आता है, तो उसके लिए कुछ सरकारी नियम हैं, सरकार की तरफ से जो अथारिटी निर्धारित होती है, वह उनकी जायदादों और उनकी तमाम चीजों की जांच करने के बाद सर्टिफिकेट देती है कि इनका इतना मूल्य है। क्या सरकार बतायेगी कि जिस सरकारी अधिकारी ने उनकी बिल्डिंगों, इमारतों या दूसरी चीजों के बारे में सर्टिफिकेट दिया, वह सही था या गलत था ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बताया है कि इन की जायदाद के बारे में जो सर्टिफिकेट पहले दिया गया था, उसके बारे में जब कुछ नई चीजें हमारे ध्यान में लाई गईं, तो हम फिर से उसकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं। पहले जो असेसमेंट हुआ था, वह सही है या गलत है, जैसे ही यह तय हो जायेगा, उसके बाद हम नये हिसाब से असेसमेंट करेंगे, इसलिए इस में पुराने सर्टिफ़िकेट की कोई बात नहीं आती।

श्री राम सहाय पांडे : गड़े हुए माल के बारे में आपने कोई उत्तर नहीं दिया, इसके सम्बन्ध में कुछ बताइये।

अध्यक्ष महोदय : आपने उसमें भाषण ही किया है।

SHRI S. B. GIRI : May I know whether the government has got any proposal to re-assess the jewellery owned by the princes and make them liable to tax ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : This limited question relates to one particular ex-ruler. I have already assured the House that we will look into the matter.

श्री बी० पी० मौर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित मन्त्री जी से जानना चाहता हूं—श्री लंका में महारानी ग्वालियर ने कुछ जेवरात बेचे हैं तथा उससे कुछ सम्पत्ति का भी सम्बन्ध है, तथा वहां की सरकार ने उस पर कुछ आपत्ति उठाई है। क्या इसके सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा गया है, अगर लिखा गया है तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है, मैं इस सूचना को एकत्रित करके सभा-पटल पर रखने का यत्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पांडे जी ने कई बार गड़े धन के बारे में पूछा है। मैं समझता हूं कि यदि माइन्ज एंड मेटल विभाग से यह प्रश्न पूछा जाय तो ठीक होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गड़े-मुर्दे खोदने वालों को भी बता सकते हैं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : राजा-महाराजाओं की निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो गई है। बीच बीच में ऐसा भी कहा जाता रहा है कि हैदराबाद के निजाम ने काफी जेवरात इंग्लैंड के बैंक में रखे, कश्मीर के महाराज के सम्बन्ध में भी ऐसा कहा जाता है—मैं इस बारे में किसी पर आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किसी के बारे में कोई अपवाद न करते हुए कोई ठोस नियम सरकार बनावे, उसकी निजी सम्पत्ति, जवाहरात और महलों के विषय में सब को एक ही कानून के दायरे में ला कर, नियमों के अन्तर्गत व्यवहार हो। ऐसा न हो, जैसा हमारे माननीय सदस्य वाजपेयी जी ने सवाल किया था—जब तक महाराजा सत्तारूढ़ दल के साथ रहते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, लेकिन जब वे विरोधी दल में खड़े हो जाते हैं तो ये सवाल आते हैं। जैसे आप की पार्टी के पिछले अध्यक्ष के संबंध में टैक्स इवेजन का सवाल आया था, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ और यह कहा गया—

> "The income-tax officer has got the discretionary power to waive the penalty."

इस लिए हम यह बात मानते हैं कि एक ठोस नियम बनाना जाय, जिसके अन्तर्गत सब राजा-महाराजाओं, बड़े बड़े पूंजीपतियों, सब के साथ एक नियम के अन्तर्गत कार्यवाही हो।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इसमें किसी एशोरैन्स की आवश्यकता नहीं है। सब लोग इस बात को जानते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ एक ही कानून के अन्तर्गत जो सब के लिए लागू है, व्यवहार किया जाता है। माननीय सदस्य जनसंघ के महामन्त्री हैं उन को इतना भी ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है कि अलग अलग कानून अलग अलग लोगों के लिए नहीं हैं। जो कानून निजाम हैदराबाद के लिए है, वही कानून श्री जगन्नाथ राव जोशी के लिए है, इसमें कोई फर्क नहीं किया जाता...

श्री जगन्नाथ राव जोशी : लेकिन जगजीवन राम जी के लिए तो यही जवाब दिया गया।

> "The income-tax officer has got the discretionary power to waive the penalty."

श्री शशि भूषण : पाप छुपाने के लिए ईशू बदल रहे हैं।

MR. SPEAKER : This question has taken quite a lot of time and all aspects except the elephants have been covered. I am passing on to the next item.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : There is one particular point on which I want to answer. The hon. Member was pleased to say that certain allegations were made against Dr. Karan Singh. It is absolutely false. No allegation against Dr. Karan Singh has ever been made so far. It is baseless.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Opening of New Branches of Nationalised Banks

*94. DR. KARNI SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of new branches of the nationalised banks opened in the year before nationalisation together with the percentage of rise in the total deposits over 1967-68 ;

(b) the number of new branches of the said banks opened in the year 1969-70 together with the percentage of rise in the total deposits over the deposits of the preceding year ; and

(c) the extent to which nationalised banks have been successful in mobilising deposits ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANTRAO CHAVAN) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The number of new offices opened by the 14 banks, which were nationalised on